राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकः 10 (1) चिस्वा/2/18/आर जयपुर,दिनांकः 23.9.19

आदेश

डॉ0 क्षितिज कुमार, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घासा मावली, उदयपुर जन्म तिथि 28.09.1992 को पारिवारिक कारणों एवं पी.जी. में चयन हो जाने के कारण उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 24.08.2018 से राज्य सेवा से त्याग पत्र एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता हैं।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–निदेशक(जन स्वा)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
2–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
3–डॉ0 क्षितिज कुमार, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घासा मावली, उदयपुर जरिये निदेशन(जन स्वा)।
4–कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःप.10(1)चिस्वा / 2 / 2019 / ए–374 जयपुर, दिनांकः 23.9.19

<u>आदेश</u>

डॉ0 अकबर अली बोहरा, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग), राजकीय चिकित्सालय, बांरा का चयन मेडिकल कॉलेज, कोटा में सीनियर रेजिडेंट (शिशु रोग) के पद पर हो जाने के फलस्वरूप नियमानुसार कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,

sd/-

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
2– प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
3– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, बांरा।
4– डॉ0 अकबर अली बोहरा, चिकित्सा अधिकारी (शिशु रोग), राजकीय चिकित्सालय, बांरा को निर्देशित किया जाता है कि अपनी उपस्थिति मेडिकल कॉलेज, कोटा में देकर इस विभाग को सूचित करें।
5– कम्प्यूटर सैल / रक्षित पत्रावली।

23/9/19
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

जयपुर,दिनांकः 24.9.19

क्रमाकःपं010(1)चिस्वा / 2 / 19 / डी–228

आदेश

एस.बी.याचिका संख्या 6291 / 2016 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2016 की पालना में डॉ0 डोली, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) को पॉच साल तक राजकीय सेवा देने के संबंध में अण्डर टेंकिग में राशि रूपये 10,00,000 / –(दस लाख रूपये) का बॉण्ड भरने की शर्त पर कार्यग्रहण की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

डॉ0 डोली का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टपूकड़ा जिला अवलर किया जाता है।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।

1– विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3– निदेशक(जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान सेवा नियम 110 के विरूद्व आदेश के इस भाग के विरूद्व रिव्यू याचिका दायर करने की कार्यवाही करावें।
5– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
6 - डॉ0 डोली, चि0अ0(दन्त) द्वारा निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7– रक्षित पत्रावली / कम्प्यूटर सेल।

24/9/19
शासन सहायक सचिव